



2026:AHC:169067

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 27299 वर्ष 2026

विकास राजपूत उर्फ कल्लू

.....आवेदनकर्ता(गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदनकर्ता(गण) के अधिवक्ता : नन्द किशोर मिश्र, पवन कुमार त्रिपाठी

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता :

न्यायालय संख्या - 70

माननीय न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी

आवेदक के अधिवक्ता और राज्य की ओर से एजीए के तर्क सुने और मामले के अभिलेख को देखा।

यह प्रार्थना-पत्र आपराधिक वाद संख्या 108/2026 (धारा 126(2), 351(3), 309(4), 317(2) बीएनएस, थाना- श्रीनगर, जिला- महोबा) में संबंधित न्यायालय में विचारण चलने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने के लिए दायर की गई है।

आवेदक के अधिवक्ता ने कहा कि आवेदक पूरी तरह से बेगुनाह है और उसे किसी गलत मकसद से इस मामले में फंसाया गया है। यह प्राथमिकी शिकायतकर्ता के लिपिक के साथ हुई लूट की घटना के संबंध में तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की गई थी। जांच के दौरान इस मामले में आवेदक का नाम सामने आया। आगे यह भी कहा गया कि आवेदक का उन आरोपों से कोई लेना-देना नहीं है जो उस पर लगाए गए हैं और उसने अभियोजन पक्ष के आरोपों के अनुसार

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कोई अपराध नहीं किया है। यह भी कहा गया कि आवेदक के पास से गलत तरीके से बरामदगी दिखाई गई है। आवेदक के पास से कोई पैसा बरामद नहीं हुआ और न ही उसने कोई डकैती की। कथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। आवेदक का आपराधिक इतिहास इस जमानत प्रार्थना-पत्र (प्रस्तर 15) में बताया गया है। आवेदक 25.6.2026 से जेल में बंद है। यह भी कहा गया है कि आवेदक भरोसा दिलाता है कि अगर उसे जमानत मिलती है, तो वह मिली आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। यह भी बताया गया है कि न्यायालय में बहुत सारे मामले लंबित होने के कारण, विचारण के जल्द खत्म होने की कोई संभावना नहीं है।

एजीए ने जमानत प्रार्थना-पत्र का ज़ोरदार विरोध किया।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, अभिलेख, साक्ष्यों और आरोपों की प्रकृति तथा दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार करने के बाद, यह न्यायालय इस नतीजे पर पहुंची है कि आवेदक विचारण चलने के दौरान जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

इसलिए, मामले के गुण-दोष पर कोई राय दिए बिना, यह जमानत प्रार्थना-पत्र **स्वीकार की जाती है**।

आवेदक, विकास राजपूत उर्फ कल्लू को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि के दो जमानतदार और एक स्वीय बांधपत्र जमा करने पर उक्त मामले में जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते कि वह निम्नलिखित शर्तों का पालन करे:-

- (i). आवेदक वाद के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (ii). आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेगा या उसे डराएगा-धमकाएगा नहीं।
- (iii). आवेदक तय तारीख पर विचारण न्यायालय के सामने पेश होगा, सिवाय उस स्थिति के जब उसे व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दी गई हो।
- (iv). आवेदक ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा जिसके लिए उस पर आरोप है या जिस अपराध को करने का उस पर संदेह है।
- (v). आवेदक मामले की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लालच, धमकी या वादा नहीं देगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसी जानकारी देने से रोका जा सके या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की जा सके।



इसके अलावा यह भी निर्देश दिया जाता है कि ज़मानतदारों की पहचान, स्थिति और पते के प्रमाण का सत्यापन संबंधित अधिकारियों द्वारा किया जाए, इससे पहले कि उन्हें स्वीकार किया जाए।

ऊपर दी गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, विचारण न्यायालय ज़मानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगी

यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां ज़मानत प्रार्थना-पत्र के निस्तारण के संबंध में पक्षों द्वारा पेश किए गए तथ्यों तक ही सीमित हैं और मुकदमे के दौरान मामले के गुण-दोष पर इन टिप्पणियों का कोई असर नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी)

12 अगस्त, 2026

बृजेश